कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ18( )एफसीए / उवसं / 2023–24 / 1276 दिनांक :– 9/2/24

निमित्त,

अधिशांषी अभियंता,
सार्वजनिक निमार्ण विभाग
जिला खण्ड अजमेर,
टोडरमल मार्ग, सिविल लाईन्स अजमेर(राजस्थान)

विषयः– Construction of B.T.Road from Majewala to Pachmata Proposal no FP/RJ/ROAD/33196/2018 Area 0.87 ha

संदर्भः– अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्रांक 191–192 दिनांक 25.01.2024 (कार्यालय को प्राप्त दिनांक 08.02.2024)के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र से विषयान्तर्गत प्रकरण मे उच्च कार्यालय द्वारा राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(31)वन / 2022 जयपुर दिनांक 12.05.2023 से प्रकरण मे जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अलग–अलग चार प्रतियों में मय सैद्वान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रो (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति भिजवावें एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(31)वन / 2022 जयपुर दिनांक 12.05.2023 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 के अनुसार नवीन एन पी वी राशि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	वि.वि.
1	शर्त बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो के पातन होने पर 100 वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरो को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online submission & Monitoring of Forest & Wildlife clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करानी है। इस हेतु प्रकरण के भाग 2 में संलग्न 10 वृक्षो के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव करने हेतु राशि 192000 को वर्तमान श्रमिक दर 259– / को समायोजित करते हुए 5333 / –रूपये अंतर राशि सहित है।	197333/-	कुल राशि रू. 1030602 / – को OSMFWCP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा कराई जावे।
2	शर्त बिन्दु संख्या 11 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफसी दि.05.02.2009 तथा पत्र 12–2 / 2010–कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 द्वारा जारी नवीनतम (एनपीवी) दरे अनुसार एनपीवी राशि को समायोजित करते हुए डिमांड राशि निम्नानुसार हैः–0.87 ha. x 957780 = 833,269/-	833,269/-	
	क्र.सं. 1 व 2 का योग राशि	1030602.00	

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) एवं सभी बिन्दुओ की पालना मय अण्डरटेकिग प्रेषित की जाये। साथ ही प्रकरण मे जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रो (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति भी पालना के साथ चार प्रति मे प्रस्तुत करे। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

भवदीय,

उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम / दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को उनके संदर्भित पत्रांक के क्रम मे।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

उप वन संरक्षक
अजमेर